साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 19-25 अगस्त 2024 वर्ष-10, अंक-18
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

पीएम मोदी बोले, जलवायु परिवर्तन का नहीं होगा असर, खर्च कम होगा और एन्वायर्नमेंट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

किसानों के अच्छे दिन! 109 उन्नत किस्मों के बीज देश को समर्पित

- » 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें
- » पूसा परिसर में तीन प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीज पेश किए
- » प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की
- » धान की ऐसी किस्म तैयार की गई है, जिसमें 20 प्रतिशत कम पानी लगेगा
- » अनाज में चावल की 9 और गेहूं की 2 उन्नत किस्में को तैयार किया गया
- » दालों में अरहर और चने की 2-2, मसूर की 3 उन्नत किस्म उपलब्ध होगी
- » किसान कम लागत और कम समय में बेहतर उपज हासिल कर सकेंगे
- » फूल, औषधि, मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को भी होगा फायदा

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने 61 फसलों की 109 उन्नत किस्मों के बीज देश को समर्पित किए। इन फसलों पर जलवायु परिवर्तन का असर कम होगा। ज्यादा उपज होने पर किसानों की आय बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम मोदी ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के संवाद भी किया। 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी की फसलें शामिल हैं। पीएम ने नैचुरल खेती के फायदों और जैविक खेती में आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक फूड आइटम्स का उपभोग और मांग करना शुरू कर दी है।

किसानों का खर्च कम होगा

प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केन्द्र को हर महीने विकसित की जा रही नई किस्मों के बारे में किसानों को बताना चाहिए। वहीं, किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बहुत फायदेमंद होंगी। इससे खर्च कम होगा और एन्वायर्नमेंट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

खेत की फसलों में बाजरा

जारी 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाज के बीज जारी किए गए। वहीं, बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागानों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में भी शामिल हैं।

» अब अन्नदाताओं को नहीं लगाने पड़ेंगे ब्लॉक के चक्कर
» पैसा जमा होने से फसल नुकसान की भरपाई जल्दी होगी

नवाचार | केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा

अब किसान पंचायतों में जमा करेंगे फसल बीमा की फीस

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों के लिए खुशखबरी है। अब फसल बीमा योजना का पैसा जमा करने के लिए उन्हें ब्लॉक में जाने या चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब किसान ब्लॉक के बदले अपनी पंचायत में भी फसल बीमा का पैसा जमा करा सकते हैं। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। गौरतलब है कि किसानों को फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए पहले ब्लॉक में पैसा जमा कराना होता था। इसके लिए किसानों को अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी। समय भी बर्बाद होता था, लेकिन अब किसान अपने गांव की पंचायत में फसल बीमा की राशि जमा करा सकेंगे। इससे उन्हें ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं होगी।

तकनीक का होगा इस्तेमाल

पंचायत में फसल बीमा का पैसा जमा होने से किसानों को फसल नुकसान की भरपाई जल्दी होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों के फसल नुकसान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें किसानों के खेत और फसल का सर्वे जल्द हो सकेगा। सर्वे जल्द होने से किसानों को कम से कम दिनों में फसल नुकसान का पैसा मिल सकेगा। अभी सर्वे में तकनीक का कम प्रयोग होता है जिससे बीमा का पैसा मिलने में देरी होती है।

हर शिकायत होगी दूर

शिवराज ने कहा कि किसानों को तकनीक का फायदा देने के लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है। डिजिक्लेम नामक पोर्टल पर किसान अपने फसल नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। इस पोर्टल पर किसान फसल नुकसान की शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिये किसानों की शिकायतों का जल्दी निपटारा किया जाएगा।

समय पर मिलेगा मुआवजा

फसल बीमा में तकनीक का अधिक इस्तेमाल से बीमा कंपनियों के साथ किसानों को भी फायदा मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर फसल बीमा का पैसा जमा होने में देरी होती थी जिससे मुआवजा मिलने में भी देरी होती थी, लेकिन सरकार ने पैसा जमा कराने की इकाई अब ग्राम पंचायतों को बना दिया है।

फसल बीमा के पैसे का कुछ हिस्सा राज्य सरकारें भी देती हैं, लेकिन उनकी तरफ से अक्सर भुगतान में देरी देखी जाती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र ने राज्यों को इससे अलग कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, ताकि किसानों को फायदा मिल सके। अब किसान ब्लॉक के बदले अपनी पंचायत में भी फसल बीमा का पैसा जमा करा सकते हैं।
शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

अब महीने में एक दिन होगा 'किसानों की बात कार्यक्रम' मिलेगा विज्ञान का फायदा

नई दिल्ली। 15 अगस्त के दिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विज्ञान का फायदा किसानों तक पहुँचाने के लिए महीने में एक दिन किसानों की बात कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों की जानकारी किसानों तक पहुँचाई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि विज्ञान का फायदा तुरंत किसानों को मिले, इसके लिये हम महीने में एक दिन किसानों की बात कार्यक्रम शुरू करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम में वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम में किसानों को जो-जो जरूरी है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र को पूरी तरह से किसानों से जोड़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक लाभ को तुरंत किसानों तक पहुंचाने का काम होगा। अब जल्दी ही किसानों के बीच चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, जिससे खेती से हम फूड बास्केट बनने का चमत्कार कर सकें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में निमंत्रित किसानों से संवाद और राष्ट्रीय नाशीजीव (कीट) निगरानी प्रणाली (हक्कस) के शुभारम्भ किया।

सामूहिक रक्षाबंधन के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोहराया चुनावी वादा

धान और दूध पर बोनस देगी मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में धान एमएसपी पर प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने का वादा किया था। अपने इस चुनावी वादे को सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार हमारी सरकार गेहूं पर बोनस दे रही है। जल्द धान और दूध पर भी ऐसे ही बोनस दिया जाए। सीएम मोहन यादव सामूहिक रक्षाबंधन के एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां मंच से उन्होंने भाजपा के चुनावी वादे को दोहराया। इसके पहले सीएम ने लाड़ली बहनों से राखी बंधवाई और फिर कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने इसका एक वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। सीएम ने कहा कि जो लोग दूध का उत्पादन कर को-ऑपरेटिव सोसायटी या प्राइवेट संस्था को बेचते हैं, उन्हें यह सरकार सीधे उनके खाते में बोनस देने जा रही है।

उपार्जन के पहले नीति लाएगी सरकार | बृज गोपाल लोया ने कहा कि किसानों को धान की फसल पर बोनस देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इस ओर प्रयास किया जा रहा है। धान की फसल आने में अभी तीन से चार महीने का समय है। सरकार उपार्जन से पहले ही अपनी नीति घोषित करती है। ऐसे में सरकार खरीदी की प्रक्रिया, उसका मूल्य और बोनस निश्चित ही घोषित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी कहते हैं उसे पूरा करते हैं। हम वो सब करेंगे जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है। इसके अलावा राज्य में कृषि क्षेत्र में और भी विकास हो रहा है, चाहे वो हमारे घोषणा पत्र में हो या न हो।

2400 रुपए क्विंटल खरीदा गेहूं | हाल ही में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बृज गोपाल लोया ने किसान तक पर हुई एक डिबेट में जल्द धान पर बोनस मिलने के संकेत दिए थे। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बोनस सहित खरीदने का काम किया है। इससे किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन उनमें सरकार को लेकर असंतोष भी नहीं हैं।

केंद्र सरकार ने सदन में बताया किसानों के हित के लिए अपना आगे का प्लान

देश के 12 राज्य में फसलों का होगा डिजिटल सर्वेक्षण

भोपाल। जागत गांव हमार

सरकार ने खरीफ सीजन 2023 से 12 राज्यों में पायलट आधार पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य फसल बोए गए आंकड़ों के लिए एकल और सत्यापित स्रोत बनाना है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया गया कि सरकार नियमित डिजिटल फसल सर्वेक्षण करके अपनी कृषि सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने की योजना बना रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने क्षेत्र गणना और उपज अनुमान की प्रणाली को आधुनिक बनाने और फसल उत्पादन अनुमान लगाने में सक्षम बनाने के लिए डीसीएस और डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) जैसी पहल की है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि डीसीएस डेटा फसल क्षेत्र के सटीक आकलन और अलग-अलग किसान केंद्रित समाधानों के विकास के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण डीसीएस संदर्भ एप्लिकेशन के माध्यम से सक्षम है जो ओपन सोर्स है और इसमें कृषि भूमि की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जियोग्राफिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) प्रौद्योगिकियों के साथ भू-संदर्भित कैस्ट्रल मानचित्र जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग

डीजीसीईएस फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के सिद्धांतों पर आधारित एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करता है। जीसीईएस मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल की शुरुआत ने सीसीई परिणामों को सीधे क्षेत्र से रिकॉर्ड करने के लिए एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की थी। जीपीएस-सक्षम फोटो कैप्चर और स्वचालित प्लॉट जैसी नवीन सुविधाओं के साथ लाया गया है।

समीक्षा के लिए समिति का गठन

ठाकुर ने कहा कि इस प्रगति से प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एमएसपी पैनल न्यूनतम समर्थन मूल्यके मुद्दों की समीक्षा के लिए समिति के गठन पर एक अलग प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जुलाई 2022 में एक समिति का गठन किया था, जिसमें किसानों, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था।

एमएसपी का सुझाव

ठाकुर ने कहा कि समिति की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाकर किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के लिए सुझाव देना और व्यावहारिक रूप से कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देना और इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय करना है। समिति का काम आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करना भी है, ताकि घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्यों के माध्यम से अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

भारत में हर साल 46 लाख टन अरहर दाल की खपत

तीन साल में 78 फीसदी बढ़ी अरहर की कीमत, दाम ने 'पतली' कर दी दाल

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दालों में से एक अरहर की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। इसका थोक भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 3668 रुपये अधिक हो गया है। नतीजा यह है कि रिटेल भाव उपभोक्ताओं की दाल पतली कर रहा है। केंद्र सरकार ने तूर का एमएसपी 7000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है, जबकि 11 अगस्त को इसका ओपन मार्केट में भाव 10668.09 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तीन साल पहले 2021 में इसी दिन थोक दाम सिर्फ 5989.29 रुपए प्रति क्विंटल था। यानी तीन साल में ही अरहर के दाल के थोक दाम में 78.11 फीसदी का इजाफा हो चुका है। अगर इसकी खेती का विस्तार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं। उधर, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुसार अगस्त में देश में अरहर दाल का अधिकतम रिटेल प्राइस 195 रुपए प्रति किलो जबकि न्यूनतम दाम 130 रुपए किलो रहा। अरहर दाल का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। खेती कम हो रही है। इसीलिए पिछले तीन साल में ही इसके दाम में प्रति क्विंटल 4679 रुपए का इजाफा हो चुका है।

उत्पादन 2023-24 में सिर्फ 34 लाख टन ही रह गया

-डिमांड और सप्लाई में करीब 12 लाख टन का अंतर

2024	10668.09 रु. क्विंटल
2023	9372.08 रु. क्विंटल
2022	7763.07 रु. क्विंटल
2021	5989.29 रु. क्विंटल

पिछले साल से अच्छी बोवनी

अब सबकी नजर इस साल होने वाली दलहन फसलों की बुवाई पर टिकी हुई है। देश में अरहर फसलों की बोवनी का क्षेत्र 47 लाख हेक्टेयर है। इस साल अगस्त तक अरहर की बोवनी 41.89 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 8.63 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। यह सुखद है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अरहर की बोवनी अच्छी है। अगर एरिया 47 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक हुआ और मौसम अनुकूल रहा तो अरहर के दाम बढ़ने की रफ्तार पर अगले वर्ष तक ब्रेक लग सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अरहर दाल की और कीमत चुकाने के लिए उपभोक्ताओं को तैयार रहना होगा।

तुअर दाल की मांग और आपूर्ति

भारत में हर साल लगभग 46 लाख टन अरहर दाल की खपत होती है, जबकि इसका उत्पादन 2023-24 में सिर्फ 34 लाख टन ही रह गया है। डिमांड और सप्लाई में 12 लाख टन का अंतर है। इस गैप की वजह से तूर दाल के दाम में तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमें इसका आयात करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में भारत ने 47.39 लाख टन दालों का आयात किया, जिसमें अरहर की भी हिस्सेदारी अहम थी।

दालों का आयात

विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। इसके बावजूद हमारे यहां इसकी मांग इतनी अधिक है कि हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। साल 2023-24 में दलहन आयात पर भारत ने 31,071.63 करोड़ रुपए खर्च किए। जिसमें तूर की भागीदारी भी अहम है। आयात कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसे आंकड़ों से समझ सकते हैं। साल 2022-23 के दौरान भारत ने 15,780.56 करोड़ की दालों का आयात किया था। यानी एक साल में ही आयात पर खर्च डबल हो गया। उधर, अप्रैल-2024 में भारत ने 6,16,683 मीट्रिक टन दालों का आयात किया है, जिस पर 3428.64 करोड़ खर्च करने पड़े हैं। यह भारत में अब तक एक महीने में दाल आयात के लिए खर्च की जाने वाली सबसे अधिक रकम है।

फसलों की उन्नत 109 किस्मों में गेहूं की भी दो किस्म शामिल

अब सिर्फ सीहोर ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी उगेगा शरबती गेहूं

भोपाल। जागत गांव हमार

पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आईसीएआर के विभिन्न केंद्रों द्वारा विकसित फसलों की 109 किस्में जारी की। इन उन्नत किस्मों में गेहूं की भी दो किस्में शामिल हैं। गेहूं (कठिया) की नई विकसित किस्म का नाम पूसा गेहूं गौरव (एचआई-8840) है। यह फसल उन किसानों के लिए उपयोगी है, जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। वहीं, गेहूं की दूसरी नई किस्म पूसा गेहूं शरबती (एचआई-1665) है। यह किस्म समय पर बोवनी के लिए उपयोगी है। इस किस्म से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के किसानों को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सीहोर का शरबती गेहूं देश-विदेश में बहुत ही लोकप्रिय है, जो अन्य किसी सामान्य गेहूं से काफी महंगा बिकता है। माना जाता है कि इस गेहूं के आटे से बनी रोटी अधिक स्वादिष्ट और नरम होती है। इसलिए बाजार में महंगे दाम के बावजूद इसकी डिमांड बनी रहती है। अब शरबती गेहूं की नई किस्म आने से इसका दायरा बढ़ेगा और डिमांड पूरी करने में मदद मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 109 जलवायु अनुकूल किस्मों की सूची में 69 नई किस्में अनाज की हैं, जिसमें गन्ना, दाल, चारा और तिलहन फसलें भी शामिल हैं; जबकि 40 बागवानी फसलों की वैरायटी में फूल, औषधीय पौधे, फल और सब्जी और मसालों की नई वैरायटी शामिल हैं।

नई किस्मों की सूची

- खाद्य फसलें (69)
- बागवानी फसलें (40)
- अनाज (23)
- दालें (11)
- क्षमतावान फसलें (11)
- सब्जी फसलें (8)
- फल (8)
- चारा फसलें (7)
- तिलहन (7)
- मसाले (6)
- पौधरोपण फसलें (6)
- रेसे वाली फसलें (6)
- फूल (5)
- गन्ना फसलें (4)
- औषधीय पौधे (4)
- कंदीय फसलें (3)

पीएम और केंद्रीय मंत्री का किसानों से संवाद

फसलों की 109 बायो फोर्टिफाइड और जलवायु अनुकूल किस्मों के जारी करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आमंत्रित किसानों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से खेती, फसलों और किसानी की अन्य चुनौतियों पर बात की। वहीं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि को अधिक लाभदायक बनाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने, उत्पादन की लागत घटाने सहित अलग-अलग विषयों पर उनसे बात की। आईसीएआर केंद्र में आमंत्रित किसानों में काफी संख्या में महिला किसान भी थीं, जिन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात और कृषि की क्षेत्र में हो रहे काम को लेकर अपने अनुभव साझा किए।

लहसुन सब्जी है या मसाला? 9 साल से जारी थी कानून लड़ाई, समझिए पूरा मामला

किसानों के एक संगठन के अनुरोध पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 2015 में लहसुन को सब्जी की श्रेणी में कर लिया था शामिल

इंदौर हाईकोर्ट का फैसला, मशाला नही सब्जी है लहसुन, अब सब्जी मंडियों में होगी बोली

इंदौर। जागत गांव हमार

लहसुन को रसोई का खास घटक माना जाता है। मसालेदार सब्जियां बनाने में इसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन लहसुन आखिर है क्या? क्या वह सब्जी है या फिर मसाला। यह सवाल इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इसे लेकर अहम फैसला सुनाया है। किसानों के एक संगठन के अनुरोध पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 2015 में लहसुन को सब्जी की श्रेणी में शामिल कर लिया था। हालांकि, इसके तुरंत बाद कृषि विभाग ने उस आदेश को रद्द कर दिया और कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम (1972) का हवाला देते हुए उसे मसाले की श्रेणी में डाल दिया।

2017 के आदेश को रखा बरकरार- अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लहसुन को फिर सब्जी की श्रेणी में डाल दिया है। जस्टिस एसए धर्माधिकारी और डी वेंकटरमन की खंडपीठ ने 2017 के आदेश के उस को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि लहसुन जल्दी खराब होने वाला है और इसलिए यह एक सब्जी है।

दोनों बाजारों में बेच सकते हैं किसान- अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि लहसुन को सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में बेचा जा सकता है। इससे व्यापार पर लगे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे और किसानों और विक्रेताओं दोनों को फायदा होगा। कोर्ट के इस फैसले का असर मध्य प्रदेश के हजारों कमीशन एजेंटों पर भी पड़ेगा।

सालों से कोर्ट में लटका था केस

बता दें कि यह मामला कई सालों से हाई कोर्ट में लटका हुआ था। सबसे पहले आलू-प्याज-लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन 2016 में प्रमुख सचिव के आदेश के खिलाफ इंदौर बेंच पहुंची थी। इसके बाद फरवरी 2017 में सिंगल जज ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इस फैसले से व्यापारियों में खलबली मच गई। उन्होंने तर्क दिया कि इस फैसले से किसानों को नहीं बल्कि कमीशन एजेंटों को फायदा होगा।

डबल जज की बेंच ने की सुनवाई

कोर्ट के फैसले के बाद जुलाई 2017 में याचिकाकर्ता मुकेश सोमानी ने पुनर्विचार याचिका दायर की। यह याचिका हाई कोर्ट की डबल जज की बेंच के पास गई। इस बेंच ने लहसुन को जनवरी 2024 में दोबारा मसाला शेल्फमें भेज दिया। फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पिछले फैसले से केवल व्यापारियों को लाभ होगा, किसानों को नहीं। इसके बाद लहसुन व्यापारियों और कमीशन एजेंटों ने इस साल मार्च में उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी। यह मामला जस्टिस धर्माधिकारी और वेंकटरमन की बेंच में आया था।

नियमों में बदलाव की अनुमति

इंदौर की डबल बेंच ने 23 जुलाई को अपने आदेश में फरवरी 2017 के आदेश को बहाल रखा। इस फैसले में मंडी बोर्ड के प्रबंध निदेशक को मंडी नियमों में बदलाव करने की अनुमति दी गई। ठीक ऐसा ही 2015 में भी किया गया था। आदेश में कहा गया कि बाजार को किसानों और व्यापारियों के हित में स्थापित किया जाता है, ताकि उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, इसलिए, जो भी उप-नियम बनाए जाते हैं या संशोधित किए जाते हैं, वे किसानों के हित में माने जाएंगे।

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

आदेश में कहा गया,' किसानों ने कहा था कि लहसुन को (सब्जी) के रूप में एजेंटों के माध्यम से बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि राज्य सरकार ने इसे मसाले के रूप में बेचने की सिफारिश की है।' इस पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के संयुक्त निदेशक चंद्रशेखर ने कहा कि कोर्ट के आदेश से सब्जी मंडियों में कमीशन एजेंटेस को लहसुन की बोली लगाने की अनुमति मिल जाएगी।

मिशन मोड में पंचायती राय मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहलें

ई-पंचायतः ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बड़ा कदम

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने देश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिसका उद्देश्य पंचायतों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। अतीत की उपलब्धियों के आधार पर, मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को ई-पंचायत एमएमपी के तहत पंचायतों के लिए कार्य-आधारित विस्तृत एप्लीकेशन ई-ग्राम स्वराज शुरू किया। यह एप्लीकेशन ऑनलाइन भुगतान सहित एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं जैसे कि नियोजन, बजट, लेखा, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि को शामिल करता है। अब तक 2.44 लाख ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार और अपलोड की हैं। इसके अलावा, 2.06 लाख पंचायतों ने 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए ऑनलाइन लेनदेन पहले ही पूरा कर लिया है।

ऑनलाइन ऑडिट

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत ऑडिट ऑनलाइन नामक एप्लीकेशन शुरू की है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करता है। ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए 2.52 लाख ऑडिट प्लान बनाए गए हैं और 2.48 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

भारतनेट परियोजना

डिजिटल इंडिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना लागू की है, ताकि देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाया जा सके। अब तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2.17 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। 30.06.2021 को भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है।

नागरिक चार्टर

पंचायती राज मंत्रालय ने 29 क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक आदशर्् पंचायत नागरिक चार्टर/ढांचा तैयार किया है, जिसमें पंचायतों द्वारा अपनाए जाने और अनुकूलित करने के लिए स्थानीय स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ कायोर्ं को सही स्थिति में लाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान 01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2021 तक चलाया गया। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरा है कि ग्राम पंचायतों के पास संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नागरिक चार्टर हो, जिसमें पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों और ऐसी सेवा के लिए समय सीमा को सूचीबद्ध किया गया हो। अब तक 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 2.32 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा आयोजित की है और 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है। यह जानकारी केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

देश में अपनी तरह का पहला जियो स्पेसियल प्लेटफॉर्म

कृषि-डीएसएस प्लेटफार्म मिलेगी हर एक जानकारी

-देश की कृषि के लिए क्रांतिकारी कदम

-किसानों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को कृषि-डीएसएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म स्पेस से जुड़ा हुआ है, जिसे विज्ञान की भाषा में जियो स्पेसियल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यह स्पेस की ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो पूरी तरह से डिजिटल है और खेती-बाड़ी की एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी यूजर को मुहैया कराएगी। कृषि-डीएसएस देश में अपनी तरह का पहला जियो स्पेसियल प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी तरह से खेती-बाड़ी के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म या पोर्टल की मदद से किसानों को मोबाइल या कंप्यूटर जैसे उपकरणों पर खेती और मौसम की जानकारी मिल सकेगी। इस प्लेटफॉर्म को देश की कृषि के लिए क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, मौसम की जानकारी, बांधों और जलाशयों में पानी की स्थिति, जमीन के नीचे पानी का स्तर और मिट्टी की सेहत के बारे में एक ही साथ पूरी जानकारी मिल पाएगी। यानी इस तरह के डेटा किसी व्यक्ति को चाहिए तो वह के-डीएसएस प्लेटफॉर्म की मदद ले सकता है।

फसल बचाने किसानों को मिलेगी मदद

सबसे खास बात ये कि इन डेटा के आधार पर किसी भी जगह, कहीं भी और किसी भी समय फौरन कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी इलाके में मौसम से जुड़ी कोई घटना है या कोई पूर्वानुमान है तो उसे देखते हुए पहले ही फौरी कदम उठाए जा सकते हैं। इससे किसानों को अपनी खेती और फसल बचाने में मदद मिलेगी। यह ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी बड़े खेत से लेकर उस खेत की मिट्टी के कण-कण की सेहत के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

कृषि-डीएसएस प्लेटफॉर्म पर फसलों की तस्वीरें जारी होंगी, जिससे उनकी सेहत के बारे में जानकारी हासिल हो सकेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिये फसलों की निगरानी भी की जा सकेगी। इससे फसलों के पैटर्न के बारे में समझना आसान होगा। इसका बड़ा लाभ किसानों को ये होगा कि वे फसल के रोटेशन के बारे में जान सकेंगे। किसानों को पता चल सकेगा कि अगली फसल कौन सी ली जाए जिससे कि अधिक से अधिक उपज मिले।

कीटों के हमलों से परेशान किसान 10 लाख हे. घटा कपास का रकबा

चालू खरीफ सीजन में भारत के कपास उत्पादन की संभावनाओं को झटका लगा है, क्योंकि 2023 की इसी अवधि की तुलना में कपास के बुआई क्षेत्र में लगभग दस लाख हेक्टेयर की गिरावट आई है।

पिछले तीन वषोज़ं में बीटी कपास की फसल पर लगातार कीटों के हमलों से हुए विनाशकारी नुकसान से अभी भी जूझ रहे किसानों ने अब या तो बुआई का रकबा काफी कम कर दिया है या इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और दालों, बाजरा और तिलहन जैसी अन्य फसलों की ओर रुख कर लिया है।

देश में 9 अगस्त 2024 तक कपास की बुआई का क्षेत्र 1.10 करोड़ हेक्टेयर था, जो 2023 से नौ प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। 2023 में इस समय तक 1.21 करोड़ हेक्टेयर बुआई की गई थी। इस वषज़ का लक्ष्य 1.29 करोड़ हेक्टेयर था। जबकि बोया गया क्षेत्र इसी अवधि में सामान्य क्षेत्र (2018-19 - 2022-23 का औसत) 1.20 करोड़ हेक्टेयर से भी कम है।

यह देखते हुए कि खरीफकी अधिकांश बुआई अब तक पूरी हो चुकी होगी, मौजूदा क्षेत्र भी खरीफसीजन के सामान्य (1.29 करोड़ हेक्टेयर) की तुलना में 10 लाख हेक्टेयर पीछे है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा सहित उत्तरी कपास बेल्ट में कपास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी दजज़ की गई, तीन राज्य जिन्हें गुलाबी बॉलवर्म कीट के बार-बार प्रकोप का सामना करना पड़ा है में कई किसान एक भी किसान कपास की एक भी फसल नहीं ले पाए।

गुलाबी बॉलवर्म एक कीड़ा है जो विकसित हो रहे कपास के कुछ हिस्सों जैसे चौकोर (फूल की कली) और बोल (कपास के रेशों के साथ बीज की गोल थैली) को नुकसान पहुंचाता है। इससे पहले 2022 में फसल में सफेद मक्खी का भयंकर प्रकोप था। पंजाब में, 2 अगस्त तक केवल 100,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई थी, जबकि इसी अवधि के लिए सामान्य 263,000 हेक्टेयर था। पिछले साल, 214,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई थी।

इसी तरह, राजस्थान में, 671,000 हेक्टेयर के सामान्य क्षेत्र के मुकाबले 2024-25 में 511,800 हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई है। कीटों के हमलों ने फसल विविधीकरण प्रयासों को भी प्रभावित किया है। कपास उन कई फसलों में से एक है, जिन्हें पंजाब और हरियाणा में राज्य सरकारें किसानों को पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल से विविधता लाने में मदद करने के लिए बढ़ावा दे रही हैं।

यह बुआई के आंकड़ों में भी देखा जा सकता है। पंजाब में धान का रकबा 32.2 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य कृषि विभाग के 31.9 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य से अधिक है।

यहां तक कि राजस्थान में भी जो आमतौर पर धान उगाने वाला राज्य नहीं है, धान की बुआई 277,400 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि इसी सप्ताह तक राज्य में धान की बुआई का सामान्य क्षेत्र 198,500 हेक्टेयर होता है।

भारत में बीटी कॉटन को अमेरिकी बॉलवमज़ (हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा) से कपास की रक्षा के लिए 2002 में पेश किया गया था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, यह पिंक बॉलवर्म का शिकार होने लगा। तापमान और वषाज़ दोनों में परिवतज़्न के साथ जलवायु में गर्माहट ने कई कीटों की आबादी में वृद्धि की है, जिससे कीटों के हमलों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।

हालांकि, इस वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा पंजाब के तीन जिलों - मुक्तसर, भटिंडा और मानसा में 18 किसानों को शामिल करते हुए एक पायलट परियोजना ने कुछ उम्मीद जगाई है। इस परियोजना में कीटों की रियल टाइम निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है। एआई-संचालित फेरोमोन ट्रैप को तैनात करके सीआईसीआर का लक्ष्य किसानों को समय पर कीट प्रबंधन निणज़्य लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना है।

9 अगस्त 2024 तक 9.798 करोड़ हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है, जिसमें धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, गन्ना, कपास और जूट शामिल हैं।

जंगलों की बहाली से जैव विविधता में हो सकता है 80 फीसदी तक सुधार

एक नए शोध से पता चलता है कि जंगलों को दोबारा लगाने से और उनका संरक्षण करने से लोगों को फायदा हो सकता है, जैव विविधता में बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी बहुत मदद मिल सकती है।

जंगलों को दोबारा बहाल करने को एक अक्सर समझौते के रूप में देखा जाता है, जो किसी न किसी लक्ष्य पर आधारित होता है, जैसे कार्बन को रोकना, प्रकृति का पोषण करना या लोगों की आजीविका को सहारा देना आदि।

एक्सेटर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए इस नए अध्ययन में पाया गया कि एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई दोबारा बहाल करने की योजनाएं अन्य लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये योजनाएं एक ही बार में तीनों क्षेत्रों में 80 फीसदी से अधिक फायदे पहुचाएंगी। इसमें यह भी पाया गया कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को इस नजरिए से असमान रूप से फायदा हो सकता है।

शोधकर्ताओं ने नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल (एनसीपी) नामक एक ढांचे का उपयोग किया, जो समानता सहित मानवता के लिए बहाली और फायदों के बीच एक व्यापक संबंध पर जोर देता है।

शोध के मुताबिक, इसे भारत के बड़े इलाकों में लागू किया गया तथा उपयुक्त हिस्सों पर प्राकृतिक जंगलों के प्राकृतिक तौर से फिर से बहाली के फायदों की जांच पड़ताल की गई। एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकताज़ ने शोध के हवाले से कहा, दोबारा बहाली परियोजनाओं का कभी-कभी सीमित लक्ष्य होता है, जिसके कारण समझौता करना पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि कार्बन भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैं, तो पेड़ की विशेष प्रजातियों को लगा सकते हैं और उन्हें बचाने के लिए जंगलों को बाड़ से घेर सकते हैं। यदि जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो विशेष प्रजातियों के लिए जंगलों का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे बंगाल टाइगर या एशियाई हाथी।

यदि लोगों की आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसी प्रजातियां लगाई जा सकती हैं जो आवास संबंधित सामग्री और खाना पकाने के लिए ईंधन प्रदान करती हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल (एनसीपी) को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं अन्य लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती हैं।

हालांकि एक 'एकीकृत' योजना तीनों को उल्लेखनीय रूप से कुशलतापूर्वक पूरा कर सकती है। शोधकर्ताओं ने घास के मैदानों और खेती की जमीन जैसे क्षेत्रों को छोड़कर, संभावित जंगलों की बहाली वाले क्षेत्र के 38.8 लाख हेक्टेयर के मानचित्र बनाने के लिए एक अनुकूलन एल्गोरिदम का उपयोग किया।

परिणामों से पता चला कि कई लक्ष्यों पर आधारित जंगलों की बहाली करने की योजनाएं जलवायु परिवर्तन को कम करने से एनसीपी का औसतन 83.3 फीसदी, जैव विविधता मूल्य एनसीपी का 89.9 फीसदी और मात्र एक उद्देश्य वाली योजनाओं द्वारा वितरित सामाजिक एनसीपी का 93.9 फीसदी प्रदान करती हैं।

जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफद नेशनल एकेडमी ऑफसाइंसेज में प्रकाशित शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि स्थानीय योजनाओं से प्रभावित 38 से 41 फीसदी लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से हैं, जो भारत की अधिकतम आबादी का हिस्सा हैं।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा कि हमने जो खाका तैयार किया है, वह संरक्षण नीतियों, विशेष रूप से पारिस्थितिक तंत्र की बहाली की गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए एक नया नजरिया प्रदान करता है।

यह जानना उपयोगी होगा कि क्या शोध के निष्कर्ष अन्य देशों पर भी लागू किए जा सकते हैं या उनके लिए भी सही हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र बहाली योजनाओं का उपयोग करते हैं और विभिन्न फायदों पर गौर करते हैं।

बारिश का मौसम, हरा चारा और पशुओं में अफारा (पेट फूलना)

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. हेमंत मेहता
» डॉ. आर.के बघेरवाल
» डॉ. मुकेश शाक्य
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय महू

प्रिय पशुपालक भाइयों, जैसा की बारिश के मौसम में हरे चारे की अधिकता हो जाती हैं और आप सभी पशुपालक पालतू गाय - भैंसों को चारागाहों में चरने के लिए भेजते हैं या पशु बाडे में ही में ही हरा चारा उपलब्ध कराते है। अत्यधिक हरे चारे के सेवन की वजह से पशुओं में अफ़रा नामक समस्या हो जाती है। अफ़रा रोग में पशु के पेट में गैस भर जाती है। जिससे पेट फूल जाता है तथा उसका दबाव वक्षगुहा में फेफड़ों पर पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप श्वसन में बाधा आती है और जानवर मर जाता है।

अफारा गोपशुओं तथा भैंस का मुख्य रोग है जो दाल वाली फसलों या हरा चारा ज्याद खाने से होता है।

दाल वाली फसलों के खाने से पेट में गैस अधिक बनती है। हरे चारे जैसे बरसीम आदि अधिक खाने से भी अफारा होता है। यदि किसी कारण यथा फोड़ा, कैन्सर आदि से खाने की नली में रुकावट हो तो गैस बाहर नहीं निकल पाती व पेट में ही एकत्रित होती रहती है।

यह रोग संक्रामक नहीं है अतः कभी-कभी एक-दो पशु को होता है। इससे गाय, भैंस, जैसे आदि पशु सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से जब उनके चारे में कोई बदलाव आता है या उन्हें दाल वाला दाना जैसे चना, ज्वार आदि अत्यचिक मात्रा में खिला दिया जाता है तो गैस अधिक बनती है जिससे अफारा हो जाता है। हरा चारा जो ओस अथवा वषाज़ से भीगा रहता है, के खाने से।

सड़ा-गला चारा या चारे में अचानक परिवर्तन करने से। गीला, दलहनी या रसदार चारा (बरसीम / लूसर्न आदि) खाने से।

रोग के लक्षण: इस रोग में पशु का पेट फूल जाता है। पेट में अधिक मात्रा में गैस भरी होती है। जिसे दबाने पर डोल की तरह की आवाज करती है। रोगी जानवर को बेचैनी होती है व दर्द होता है जिससे वह बार-बार उठता बैठता है। रोगी पशु का मल-मूत्र नहीं निकलता। पशु बार-बार चक्कर लगाता है व बेहोश होकर गिर पड़ता है। पशु का जुगाली बन्द ,पशु हमेशा बायीं ओर देखता है। पिछले पैर पटकना एवं पेट पर मारना, बायीं तरफ का पेट फूला हुआ। मुँह खुला एवं नाक फैली हुई, श्वास लेने में तकलीफ। फूले हुये पेट को थपथपाने पर ढोल जैसी आवाज। पेशाब जल्दी-जल्दी अथवा बन्द। कष्ट के कारण कराहना, पशु बार-बार उठता बैठता है।

रोग का निदान: पशु के खाने का इतिहास और उपस्थित लक्षणों को देखकर रोग का निदान किया जाता है। बायीं कोख को थपथपाने से डम डम या ढोल जैसी आवाज का आना इस रोग का निश्चयात्मक लक्षण है। इस रोग का निदान लक्षणों के आधार पर किया जाता है। पेट में अत्यधिक गैस भरी होती है जिसे बजाने पर डोल जैसी आवाज निकलती है।

उपचार: उपचार के लिए पशु को तेल पिलाया जाता है जिससे गैस बनने में कमी आती है। चारा-दाना कम देना चाहिए ताकि अफारा दुबारा जल्दी न हो। इस रोग के उपचार के लिए आधा लीटर वनस्पति तेल जैसे अलसी, तिल, मूंगफली, सरसों आदि की आधा लीटर मात्रा, 50 से 60 मिली लीटर तारपीन की मात्रा पशुओं को नाल की सहायता से तुरंत दें।

बड़े पशुओं को 100 से 125 मिली लीटर तारपीन का तेल, 40 ग्राम हींग का चूरा, 100 ग्राम नौसादर को लगभग आधा लीटर अलसी के तेल में मिलाकर दें। प्रारंभ में अफारा से पीड़ित पशु को खड़ा कर दौड़ा दें, फिर कोई उपयुक्त दवा दें या अंत में पेट की वायु निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की सहायता से अमाशय में छेद करना लाभदायक रहता है।

अफारा की रोकथाम: पशुओं के आहार में अचानक परिवर्तन ना करें। ऐसे हरे चारे जिन में पानी की अधिकता रहती है जैसे कि बरसीम, लुसर्न, हरी घास को प्रतिदिन धीरे-धीरे मात्रा में बढ़ोये जिससे कि अफ़रा ना हो। पशु चिकित्सक से समय रहते इलाज कराएं।

खेती में फास्फोरस व नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग से फूल वाले पौधों की 45 प्रतिशत प्रजातियों को खतरा

दुनिया भर में फास्फोरस के जरूरत से ज्यादा उपयोग के कारण इसकी भारी मात्रा बर्बाद हो रही है, इस बात का खुलासा लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी और रॉयल बोटेनिक गार्डन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।

शोध में कहा गया है कि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं के पौधों पर अध्ययन किया गया जिसके मुताबिक, गेहूं नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों का उपयोग 21 नाइट्रोजन परमाणुओं और फास्फोरस के एक परमाणु के अनुपात में करता है। इस अनुपात से बाहर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों बर्बाद हो जाते हैं।

शोध के इन निष्कर्षों से पता चलता है कि फास्फोरस के उपयोग को कम करने से फसल की पैदावार पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जैव विविधता की रक्षा होगी, इस पर लगने वाले खचज़ में कटौती होगी, इस महत्वपूर्ण संसाधन का संरक्षण होगा और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

दुनिया भर में खाई जाने वाली फसलों में गेहूं का अहम स्थान है, जो मनुष्य के पोषण का 20 फीसदी तक का योगदान करती है। वैज्ञानिकों द्वारा गमलों में उगाए गए गेहूं के पौधों पर किए गए शोध से पता चलता है कि उन्हें 21:1 के अनुपात में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। अतिरिक्त नाइट्रोजन या फास्फोरस बर्बाद हो जाता है क्योंकि यह गेहूं की उपज में वृद्धि नहीं करता है। शोध में कहा गया है कि इस तरह के पैटर्न सभी फसलों पर लागू हो सकते हैं। शोध के मुताबिक, वर्तमान में, दुनिया भर में उर्वरकों के उपयोग में नाइट्रोजन और फास्फोरस का अनुपात लगभग 2.1:1 से 4.3:1 के बीच है, जो जरूरत से कहीं अधिक है। बचा हुआ उर्वरक मिट्टी और जल निकायों में जमा हो जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और किसानों और उपभोक्ताओं के लिए इसकी लागत बढ़ जाती है। नाइट्रोजन के विपरीत, फास्फोरस एक सीमित संसाधन है जो बढ़ती आबादी के भोजन की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यदि ये निष्कर्ष खेती में भी लागू होते हैं, तो फास्फोरस के उपयोग में होने वाली भारी कटौती से किसानों, पर्यावरण और समाज को फायदा पहुंचा सकता है, वो भी पैदावार से समझौता किए बिना। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, उर्वरक की बढ़ती खपत खाद्य की कीमतों को बढ़ा रही है। शोध से पता चलता है कि हम फास्फोरस की तुलना में बहुत अधिक नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बर्बादी, प्रदूषण और बहुत अधिक धन खर्च हो रहा है।

फसल में लगने वाले प्रमुख कीड़ों और रोगों के लक्षणों की पहचान कराई गयी और उनके प्रबंधन के सुझाव दिए

कृषि वैज्ञानिकों ने गांवों में भ्रमण कर किसानों को बताया, कैसे करें उड़द की फसल की देखरेख

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके जाटव एवं डॉ. आईडी सिंह द्वारा दिनांक 12/08/2024 को समूह अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन उड़द का बीघा, नादिया, लहरगुवाँ एवं कोड़िया आदि गाँवों में किसानों के साथ फसल का भ्रमण कर नींदा, कीट एवं रोग प्रबंधन पर तकनीकी सलाह दी गयी। उड़द फसल से घास को शीघ्र निकाल देना चाहिए अन्यथा फसल की वानस्पतिक वृद्धि, फूल एवं फलियाँ लगना प्रभावित होगी अर्थात पौधा कमजोर हो जाएगा। फसल से नींदा (घास) जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए, भूमि से फसल के हिस्से के पोषक तत्व नींदा ग्रहण कर लेता है।

खेत से वर्षात के पानी को निकालने के लिए नालियाँ बना देना चाहिए, जिससे अधिक वर्षा से फसल को हानि न हो। यदि फसल में पीले पौधे दिखाई दें तो उन्हें तुरंत निकाल कर मिट्टी में दबा दें, जिससे वायरस से फैलने वाली बीमारी पीला रोग फसल में न फैल सके। फसल की उपज को बीज के रूप में तैयार करने के लिए अन्य किस्म के मिश्रित पौधों को अलग कर देना चाहिए। फसल भ्रमण के दौरान फसल में लगने वाले प्रमुख कीड़ों और रोगों के लक्षणों की पहचान कराई गयी और उनके प्रबंधन के सुझाव दिए गए कि उड़द फसल में फली बीटल कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट की इल्लियाँ छोटे पौधों की पत्तियों में छेद करती हैं, जिससे पत्तियों पर छेद ही छेद दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार पत्ती भेदक इल्लियाँ भी पत्तियों को खाकर पौधों को हानि पहुंचाती हैं। इसके अलावा चूसक कीटों में सफेद मक्खी, काली माहू एवं जैसिड, इस प्रकार के कीटों के साथ नियंत्रण हेतु पूर्व मिश्रित दवाएं जैसे क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 9.30प्रतिशत + लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रीन 9.50प्रतिशत जेड.सी. या थियामेथोक्सम 12.60प्रतिशत + लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रीन 9.50प्रतिशत जेड.सी. 60 मिली या बीटासायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड 150 मिली की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उड़द फसल की प्रमुख बीमारियों के अंतर्गत पीला मोजक रोग फसल को ज्यादा प्रभावित करता है।

लगातार बारिश से फसल पर होता है कीट और कई रोगों का प्रकोप

इस रोग के विषाणु को ग्रसित पौधों से दूसरे स्वस्थ पौधों पर फैलाने का कार्य सफेद मक्खी करती है। पूर्व में दर्शायी पूर्व मिश्रित दवाओं को प्रयोग भी कर सकते हैं या केवल चूसक कीट की समस्या है तब इमिडाक्लोप्रिड (80-100 मिली) या एसिटामिप्रिड 25प्रतिशत + बायफेन्थ्रिन 25प्रतिशत 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। लगातार बारिश होने पर सर्कोस्पोरा पर्ण दाग रोग और एन्थ्रेक्नोज रोग इन रोगों से पत्तियों पर गहरे भूरे धब्बे बनते हैं, यह धब्बे फैलते हुए शाखाओं और फलियों पर भी पड़ जाते हैं, इनसे बचाव के लिए टेबुकोनाजोल 25.9प्रतिशत ईसी 250 मिली. या टेबुकोनाजोल 10प्रतिशत + सल्फर 65प्रतिशत 600 ग्राम या कार्बेन्डाजिम 12प्रतिशत + मैंकोजेब 63प्रतिशत की मात्रा 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दवा के प्रभावी असर हेतु छिड़काव के 3-4 घंटे तक बरसात नहीं होना चाहिए।

केवीके में सुगंधित पौधों की खेती, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के सभागार में सी.एस.आई.आर. - भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू और केवीके टीकमगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण बुन्देलखण्ड की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल सुगंधित पौधों की खेती जैसे - नींबू एवं गुलाब घास आदि की खेती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी.एस. किरार तथा सी.एस.आई.आर. - भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सभाजीत एवं के.वी.के. के परियोजना प्रभारी (सुगंधित फसल) वैज्ञानिक डॉ. आर.के. प्रजापति, वैज्ञानिक डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. यू.एस. धाकड़, डॉ. सतेन्द्र कुमार, डॉ. एस.के. जाटव उपस्थित रहे। नींबू/ गुलाब घास एवं अन्य सुगंधित पौधों की खेती करके भारत आज विश्व के इत्र फसलों के तेल के बाजार में 50प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। विश्व स्तर पर वर्ष 2027 तक नींबू घास तेल का बाजार 450.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। नींबू घास एक सूखा सहनशील फसल है, जो बंजर भूमि, सूखा इलाका और जहाँ जंगली जानवरों का प्रकोप ज्यादा हो है या जहाँ मौसम या वषाज़ से फसल नष्ट हो जाती है, वहाँ इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। यह ऐसी घास है जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ऐसी जलवायु परिस्थितियों में एक एकड़ खेत में 22000 पौधे, 2×2 फीट पर लगाये जा सकते हैं। गुलाब घास का उपयोग तेल और सुगंध के साबुन, अगरबत्ती, दवायें जैसे एंटी-फंगल, एंटी-एसिडिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी, आदि में उपयोग होता है तथा नींबू घास के तेल का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए, पाचन तंत्र, तनाव दूर करने, शरीर को डिटॉक्स करने, ऐंठन आदि में उपयोग किया जाता है। इसकी खेती के लिए तापमान 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा जमीन का पी.एच. मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए।

निकरा परियोजना के तहत कांटी गांव के 25 किसानों ने शुरू की खेती

4 टन गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ न.फपो. 80:40:40 प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। 120-150 दिन के बाद पहली कटाई फिर 90-100 दिन बाद अगली कटाई, 180-270 दिन बाद पौधों में गेप फिलिंग करना चाहिए। पौध को लगाने से 120 दिनों तक फसल को खरपतवार रहित रखना चाहिए, इसके बाद खरपतवार अपने आप ही दब कर नष्ट कर नष्ट हो जाते हैं। इसकी खेती में प्रथम वर्ष रु. 5000-30000 खर्च आता है, जिसमें 4 कटाई के बाद अनुमानित 100 लीटर तेल प्राप्त होता है और 800-1000 रुपए/लीटर भी बिका तो 80000-100000 रु. तक प्रथम वर्ष में ही प्राप्त हो जाता है। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों की वजह से वर्षा के कारण कुछ वर्षों से सोयाबीन, उड़द, तिल जैसी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए निकरा परियोजना संचालित अंगीकृत ग्राम कांटी में 25 किसानों के साथ इसकी खेती की शुरुआत टीकमगढ़ जिले में की गई थी, जिससे किसानों ने 16-20 लाख रु. कमाये थे।

ग्रामीणों को बताया पौधरोपण के फायदे

एक पेड़ मां के नाम के तहत वैज्ञानिकों ने किया पौधरोपण

शहडोल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किये गए अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत कृषि विज्ञान केन्द्र शहडोल द्वारा दिनांक 12.08.2024 को कल्याणपुर स्थित प्रक्षेत्र में केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. मृगेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में केन्द्र के वैज्ञानिक दीपक चैहान एवं डॉ. बृजकिशोर प्रजापति द्वारा वृक्षारोपण किया गया एवं बताया की वृक्ष भूमिक्षरण से निपटने, सूखे से निपटने एवं मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

केन्द्र के वैज्ञानिक दीपक चैहान ने बताया की पेड़ लंबे समय तक प्रदूषण मुक्त वातावरण की कुंजी हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करने, हवा की गुणवत्ता में सुधार, जलवायु सुधार, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और वन्य जीवन का समथज़्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी कारणों से वर्तमान परिदृश्य में वृक्षारोपण आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रदूषण चरम पर है। कुछ हद तक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है। पेड़ों के बिना, पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। पेड़-पौधे कई तरह से पर्यावरण को स्वस्थ रखने में बहुत योगदान देते हैं। प्रत्येक वर्ष तापमान में वृद्धि हो रही है जिसका मुख्य कारण पर्यावरण में असंतुलन है इसलिये हम सबकी जबावदेही बनती है कि हम कम से कम एक वृक्ष लगाये तथा आने वाली पीढ़ी को भी इस अभियान से जोडे।

हम सभी मिलकर अपनी माॅ के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें: जिस तरह माॅ अपने बच्चों की परवरिश करती है उसी तरह से हमारा दायित्व है कि हम माँ की याद में लगाए गए पौधे के संरक्षण का संकल्प करें। इस कार्यक्रम में 100 फलदार पौधो का पौधरोपण किया एवं इसे बचाने की शपथ ली।

किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके इस उद्देश्य से राज्य सरकार किसानों की फसलों को खरीदने के लिए सरकारी समर्थन मूल्य तुलाई सेंटर खोलती है, जहां किसानों को बाजार में प्रचलित दर से अधिक रेट उनकी फ़सल की दी जाती है, अपनी फ़सल का बाजार दर से अधिक लाभ हासिल करने के लिए किसानों को पहले ऑनलाइन पंजीयन दर्ज करना पड़ता है, जिसकी पुष्टि सरकार राजस्व विभाग के फ़सल गिरदावरी रिकॉर्ड करती है, इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किसान के खेत में पटवारी ने आनलाइन कोन सी फ़सल कितने रकबे में चढ़ाई हुई है इसका मिलान किया जाता तभी पोर्टल पंजीयन स्वीकार करता है। इसके बाद किसान को समर्थन मूल्य विक्रय केंद्र पर फसल तुलाई के लिए कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इस प्रक्रिया में तुलाई सेंटर संचालित करने वालों पर किसानों से रिश्वत लेने के आरोप भी गाहे बगाहे लगते रहते हैं।

फर्जी किसान बनकर व्यापारी और व्यवस्था से जुडे अधिकारी कर्मचारी उठा रहे लाभ

समर्थन मूल्य तुलाई सेंटरों पर किसानों से अधिक लाभान्वित होते बिचौलिए

फ़सल खरीदी में सामने आए गड़बड़ झाला की जांच दो माह गुज़रने पर भी कलेक्टर के निर्देश तक रही सीमित

श्योपुर। जागत गांव हमार

किसान आरोप लगाते रहते हैं कि संबंधित केंद्र संचालक उनसे फसल तुलाई के लिए रुपए मांग रहा है जो किसान फसल धुलाई के लिए रिश्वत दे देता है उसकी फसल सरकारी समर्थन मूल्य पर तुलवा दी जाती है और जो रिश्वत नहीं देता उसकी फसल को नमीयुक्त, मिट्टी युक्त एवं अन्य कमियां बताकर सेंपल फेल कर दिया जाता है तीन-तीन दिन तक ट्राली को लाइन में लगाने के बाद समर्थन मूल्य पर तुलाई का नंबर आने के बाद अचानक सैंपल फेल हो जाने जाना किसान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता है। किराए की ट्रॉली लाकर फसल बेचने पहुंचा किसान फ़सल को वापस घर ले जाने के बजाए रिश्वत देकर अपनी सरकारी कांटे पर ही तुलवाने में ही भलाई समझता है। आरोप यह भी लगता है कि किसान को तो कई कठिनाई से पंजीयन करने वेध कागजात दिखाने और फिर फ़सल के गुणवत्ता युक्त होने की गारंटी पर ही समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है पर बड़ी संख्या में बिचौलिए ऐसे भी है जो व्यापारियों की फसलों को किसानों की बताकर समर्थन मूल्य पर बेच देते हैं। ऐसा ही गड़बड़ घोटाला दो माह पहले खुद किसानों ने उजागर करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सोप शिकायत की थी। दर असल तब कुछ किसानों के पास उनकी फ़सल बेचने के मैसेज आये थे लेकिन उन किसानों ने अपनी फ़सल उक्त सेंटरों पर बेचे जाने से इनकार करते हुए गड़बड़ झाला की आशंका जताई थी। इस गड़बड़ घोटाले की जांच करने के निर्देश कलेक्टर लोकेश कुमार ने दिए तो सही लेकिन यह जांच कछुआ गति से भी नहीं चल पा रही है, कलेक्टर द्वारा दिए गए जांच के आदेश दो माह गुजरने के बाद भी जांच सिर्फ कलेक्टर के निर्देश तक ही सीमित है।

यहां बताना होगा कि 2 माह पहले कलेक्टर को जनसुनवाई में शिकायत मिली थी कि शाखा प्रबंधक विपणन सहकारी संस्था द्वारा सरकारी समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद एजेंसी, सेवा सहकरिता संस्था आसिदा (5 किसान) सेवा सहकारिता संस्था श्योपुर (एक किसान) के प्रबंधक को जारी किए गए नोटिस में उल्लेख किया गया था कि आपके द्वारा जिन किसानों की सरसों बेच जाने के नाम पर राशि चढ़ाई गई है उन किसानों का भूमी सर्वे नंबर अंकित कर दिया है जो पहले ही अन्य समर्थन मूल्य पर पहले ही फ़सल बेच चुके हैं। यह नोटिस उन किसानों की शिकायत के बाद जारी किए गए थे जो अन्य केंद्रों पर अपनी फ़सल बेच चुके थे लेकिन उनके नाम पर दोबारा सरसों बेचने और रूपए निकालने का उल्लेख उक्त केंद्रों पर किया गया था, मामले में खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट दे चुका है जिसमें जिन किसानों के नाम से फर्जीवाडा किया गया है उन्हें पहले से ही अन्य केंद्रों पर फसल बेचने का उल्लेख है। इसके बाद मामले में आरोपियों से वसूली नहीं होने और मामले को दबाने का प्रयास किया गया तो किसी ने कलेक्टर लोकेश कुमार से जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत की जिसकी जांच के निर्देश कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर वाई एस तोमर को दिए लेकिन दो माह गुजरने पर भी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

जिनके पास नहीं ज़मीन उन्हे भी बना दिया किसान

समर्थन मूल्य में फर्जीवाड़ा किस कदर हुआ है इसकी बानगी यह है कि कई किसानों को तो उनकी जानकारी के अभाव में ही उनके नाम से अन्य खरीद केंद्रों पर फसल बेचना बता दिया, जिसमें उनके नाम के साथ-साथ उनकी भूमि सर्वे क्रमांक और वह सब अभिलेख लगे हुए हैं जो पंजीयन करते समय संबंधित किसान ने लगाए थे साथ ही 6 ऐसे किसानों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं है। लेकिन उनके नाम पर 25-25 क्विंटल फसल बेचना चढ़ाया गया है। हालांकि इन किसानों के पास जिले में कहीं भी खेती किसानी के लायक जमीन नहीं है लेकिन संबंधित खरीद एजेंसी ने उनके नाम के आगे उनकी जमीन का भूमि सर्वे क्रमांक आदि चढ़ाया हुआ है।

ऐसे करती है खरीद एजेंसी फर्जीवाड़ा

शासकीय समर्थन मूल्य पर किसानों के नाम पर फर्जीवाडा हमेशा से होता चला आया है दरअसल व्यापारी अपनी फसल को जिले से बाहर बेचने के बजाय समर्थन मूल्य पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं, इसके लिए उन्हें अधिकारियों से सांठ गांठ करनी होती है। अधिकारी सूची में पहले से ही चढ़े किसानों के नाम उनकी जमीन सर्वे नंबर दूसरे केंद्र पर चढाकर उस फसल को बेचना बता देते हैं जो व्यापारी की होती है। ऐसी फसल को किसान के नाम पर बेचकर व्यापारी मोटा मुनाफा कामाता है जिसमें संबंधित खरीद एजेंसी का भी हिस्सा होता है।

मोबाईल पर मैसेज आया तब पता चला फर्जीवाडे का

किसानों के नाम पर व्यापारियों की फसल खरीद कर अपने बारे होने वाली गड़बडी खरीद एजेंसियां किस प्रकार करती है इसका खुलासा तो धीरे-धीरे होता जा रहा है, पर इस गड़बड़ झाले को उजागर करने का काम कुछ जागरूक किसानों ने किया दर असल कुछ किसान जिन्होंने अपनी फसल दूसरे खरीद केंद्र पर बेची थी उन्हें दोबारा से फसल बेचने के मैसेज आए इस मैसेज को लेकर जब किसान संबंधित एजेंसी के पास पहुंचे तो कई किसानों को तो एजेंसी ने समझा दिया कि सॉफ्टवेयर की गलती से दोबारा मैसेज आ गया है लेकिन कुछ जागरूक किसानों ने इसमें गड़बड़ झाला होने की आशंका जताते हुए कलेक्टर से शिकायत कर दी थी इसकी जांच में पता चला कि खरीद एजेंसी ने किसानों के नाम और उनकी जमीन के नंबर चढ़कर व्यापारियों की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचकर जो लाभ सरकार किसान को मिलना था वह लाभ व्यापारी को दिला दिया।

ऐसे दौड़ा जांच की गति का पहिया

किसानों द्वारा की गई शिकायत पर मामले में खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जांच सहकारिता सहायक आयुक्त को प्रतिवेदन सोप चुका है, इस पर कारवाई करने के बजाए जांच छुपाई गई जिसकी शिकायत जन सुनवाई में समाज सेवी लक्ष्मीकांत सोनी द्वारा की गई, शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश डिप्टी कलेक्टर वाईएस तोमर को दिए जिन्होंने चार्ज प्रतिवेदन खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंप दिया खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में यह जांच प्रतिवेदन सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग को भेज दिया जिन्होंने जांच करने के बजाय वापस इस जांच को प्रतिवेदन को खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को लौटा दिया, अब नागरिक आपूर्ति विभाग उक्त जांच प्रतिवेदन को डिप्टी कलेक्टर वाईएस तोमर को लौटाने की तैयारी कर रहा है। यानि भ्रष्टाचार के इस मामले में अभी तक जांच 9 दिन चले अढ़ाई कोस ही साबित हुई

तुलाई सेंटर करा देते हैं साल भर की कमाई

कहने को तो सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानो की फैसल लाभकारी मूल्य पर खरीदी जाती है पर इन सरकारी तुलाई सेंटरों पर लाभ का धंधा किसानों से अधिक उन बिचौलियों को होता है जो सेंटरों को चलाने का काम करते हैं, दरअसल इन सेंटरों को सहकारिता संस्थाएं या महिला समूह अथवा ऐसी ही एजेंसियों के माध्यम से संचालित करती है। जो लोग इस काम में माहिर होते हैं वह इस तरह के समूह बनाकर तैयार रखते हैं और उक्त सेंटरों के संचालन के लिए नियम शर्तों के अनुसार टेंडर डाल देते हैं। हालांकि यह टेंडर सिर्फ फसल तुलाई मजदूरी के लिए होता है, यानी फसल को तोलना, बोरे में भरना, बोरे की सिलना, और तुलाई सेंटर पर चट्टे लगाकर रखना होता है। इसके बाद दूसरा टेंडर परिवहन का होता है जो संबंधित फसल को गोदाम तक ले जाने का काम किया जाता है। कहने को तो तुलाई सेंटर के ठेके मजदूरी के नाम पर होते हैं लेकिन मजदूरी की आड़ में भारी कमाई भी होती है। दिखने में यह भी आता है की नेता अपने चहेते कार्यकर्ताओं को यह ठेके दिलवाते हैं और कार्यकर्ता एक ही सीजन में साल भर की कमाई कर अपने को बारे न्यारे कर लेते हैं। इस काम में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जुडे हैं जो इसके अलावा और कोई काम धंधा नहीं करते बस साल में एक बार ठेका ले लेते हैं और पूरा जीवन खुद को ठेकेदार कहलाते हैं, असल में यही लोग प्रशासन के साथ मिलकर सैंपल पास करने फेल करने और किसानो की फसल को तोलने का काम भी करते हैं। इन ठेकेदारों पर किसानों की फ़सल चोरी के भी आरोप लगते रहे हैं, जिनमें दर्जनों एफआईआर थानों में दर्ज़ भी हुई हैं।

तैयारी: उप्र में मिल संचालकों से दो दौर की हो चुकी बातचीत, मक्के का रकबा 4 साल में दो लाख हैक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य

मप्र और यूपी में मक्के से बनाएंगे एथेनॉल

लखनऊ। जागत गांव हमार

प्रदेश में अब गन्ने के बजाय मक्के से एथेनॉल तैयार करने की तैयारी है। इसके लिए कृषि विभाग और चीनी मिल संचालकों के बीच दो दौर की बातचीत हो गई है। हर चीनी मिल क्षेत्र में मक्के का रकबा भी चिह्नित किया जाएगा। इसे चार साल में दो लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मक्का विकास से जुड़े उपकरणों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक प्रदेश में करीब 15 कंपनियां एथेनॉल तैयार करती हैं। इनकी संख्या भी बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, धान और मक्के से होता है। गन्ना और धान में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे में मक्के को एथेनॉल के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह खरीफ, जायद और रबी सीजन में उगाई जाती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित मक्का विकास योजना शुरू की है। इसके लिए 2024-25 में 27.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

15 राज्यों का चयन

अभी प्रदेश में करीब 8.30 लाख हेक्टेयर में मक्के की बोवनी होती है। उत्पादन 21.16 लाख मीट्रिक टन है। रकबा दो लाख हेक्टेयर बढ़ाने और उत्पादन 11 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त करने की तैयारी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उद्योगों के जलग्रहण क्षेत्र में मक्का उत्पादन में वृद्धि नामक परियोजना शुरू की है। इसे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) संचालित कर रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 15 राज्य चुने गए हैं।

किसानों को मिलेगा उपज का मूल्य

अभी प्रदेश में 15 कंपनियां एथेनॉल बनाती है। इनकी संख्या भी बढाने की तैयारी है। एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को सहकारी एजेंसियों से तय दर पर मक्के की आपूर्ति मिलेगी। इससे जहां एथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी मिल सकेगा। चीनी उत्पादन में कमी नहीं आएगी क्योंकि गन्ने से ही अभी तक एथेनॉल और चीनी दोनों बनाई जा रही है।

अनुदान पर मिलेंगे उपकरण

संयुक्त निदेशक आरके सिंह ने बताया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसानों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। मक्के में नमी करीब 28 से 30 फीसदी होती है। ऐसे में कटाई के बाद इसमें फंगस लगने का डर रहता है। किसानों को इस समस्या से बचाने के लिए 15 लाख के ड्रायर पर 12 लाख का अनुदान दिया जाएगा। कोई भी किसान उत्पादन संगठन सिर्फ तीन लाख लगाकर इसे खरीद सकेगा। इसी तरह पॉपकार्न की मशीन पर 10 हजार का अनुदान है। अन्य उपकरणों पर भी किसान और किसान उत्पादन संगठनों को अनुदान की व्यवस्था की गई है। किसानों को मक्का अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्हें संकर बीज दिलाया जाएगा और तकनीक से वाकिफ कराया जाएगा।

प्रदेश में मक्के से एथेनॉल उत्पादन की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। खरीफ सीजन में अब तक करीब 90 फीसदी मक्के की बुवाई हो गई है। चीनी मिल संचालकों से भी बातचीत हो गई है। मक्के की फसल आने तक एथेनॉल के लिए खरीद शुरू कराने की तैयारी है।

-जितेंद्र सिंह तोमर, निदेशक कृषि

भारत और न्यूजीलैंड के कृषि मंत्री के बीच उच्चस्तरीय बैठक

भारत-न्यूजीलैंड के बीच बागवानी फसलों के निर्यात पर चर्चा

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और न्यूजीलैंड के कृषि, वानिकी, व्यापार और विदेश मामलों के एसोसिएट मंत्री टॉड मैक्ले के बीच आज कृषि भवन, नई दिल्ली में उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी हितों के प्रमुख क्षेत्रों व सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गई।

यह चर्चा दोनों देशों की कृषि प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी साझा करने और बागवानी पर प्रस्तावित मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन (एमओसी) सहित साझेदारी के लिए नए रास्ते तलाशने पर केंद्रित थी। मंत्रियों ने कृषि साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

आम के निर्यात को दिया जाएगा बढ़ावा- बैठक में केंद्रीय मंत्री चौहान ने भारत के साथ संबंध सुदृढ़ करने में न्यूजीलैंड के सक्रिय प्रयासों की सराहना की व इस संबंध के लिए न्यूजीलैंड सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के महत्व को स्वीकार किया। भारतीय अनार के आयात और आम के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए न्यूजीलैंड के समर्थन का स्वागत किया गया। कृषि मंत्री ने लखनऊ और दिल्ली में नए ऑडिट की गई वीएचटी सुविधाओं को शीघ्र अनुमोदन मिलने की भी उम्मीद जताई, जिससे न्यूजीलैंड को भारतीय आमों का निर्यात और बढ़ेगा।

अंगूर के निर्यात पर दिया गया जोर

इसके अलावा, न्यूजीलैंड के मंत्री मैक्ले ने न्यूजीलैंड से भारत को पाइन लॉग निर्यात की हाल ही में पुन: शुरूआत के लिए धन्यवाद दिया। कृषि मंत्री चौहान ने इस क्षेत्र में सहयोग जारी रखने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और संतरे व केले जैसे ताजे और सूखे फलों सहित अन्य कृषि उत्पादों में व्यापार के विस्तार की संभावना पर जोर दिया। उन्होंने, विशेष रूप से न्यूजीलैंड को अंगूर निर्यात करने के लिए भारतीय निर्यातकों को शीघ्र बाजार पहुंच प्रदान करने पर विचार करने का उल्लेख किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को और बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में विशेष रूप से बागवानी और मछली पालन में सहयोग की विशाल संभावनाओं को देखते हुए अनुसंधान एवं विकास के लिए तकनीकी सहयोग के महत्व पर भी चर्चा की गई। मंत्रियों ने दोनों देशों के किसानों, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए आर्थिक और व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक में, भारत में न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर पैट्रिक राटा के अलावा दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

ग्रामीणों ने रक्षा सूत्र बांध कर पौधा सुरक्षा की ली जिम्मेदारी

पन्ना। जागत गांव हमार

विन्ध्याचल पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा आदिवासी बाहुल्य ग्राम बनहरीखुर्द हनुमतपुर ग्राम पंचायत का आश्रित गांव है। जनपद अजयगढ़ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति है। रिलायंस फाउन्डेशन, समर्थन संस्था एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्य 'एक पेंड मां के नाम' में सैकड़ो माताओ बहनो एवं भाईयो ने भाग लिया तथा रक्षासूत्र बांधकर पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। जनपद पंचायत अजयगढ़ से पंचायत समन्वय अधिकारी नवल किशोर पटेल सचिव ग्राम पंचायत विद्रा वाई अहिरवार कायज्क्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मीनाराजे, एवं कार्यक्रम की अध्यक्ष भन्नू बाई कोदर सरपंच हनुमतपुर

ने समुदाय की भागीदारी एवं पंचायत मित्रों, जल मित्रों के कार्य की सराहना की। पौधारापेण की तैयारी को देखा और अपने उद्बोधन में कहा की हमारी संस्कृति में जल, जगल, जमीन, जानवर एवं जन महत्वपूर्ण है।

जल बचाना एवं पौधा लगाना एक दूसरे के पूरक

कार्यक्रम में रिलायंस फाउंडेशन के जिला परियोजना प्रबंधक नीरज कुशवाहा, तकनीकी सलाहकार प्रदीप तिवारी, समर्थन के वरिष्ठ साथी आशीष विश्वास ने जल को बचाना एवं पौधा लगाना एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा हो ही नही सकता। समर्थन टीम से फरीदा बी, मीत पटेल, विनीत द्विवेदी दीपक चौधरी, लखन लाल शर्मा, विकास मिश्रा, रोहिनी सिंह, शुशील कुमार सेन एवं कार्यक्रम का संचालन ज्ञानेन्द्र तिवारी ने किया। कार्यक्रम में अटल भू जल के सेंक्टर प्रभारी भरत मिश्रा, साहिव सिंह चन्देल ने भागीदारी की। गांव के विशेष सहयोगी हुकुमसिंह, सरजू प्रसाद, मलखान सिंह, चिरोंजीलाल समस्त ग्राम वासियों ने सहयोग किया। पंचायत ने दैनिक देखभाल की जिम्मेदारी सरजू प्रसाद कोदर को सौपी एवं सभी ग्रमीणों ने पौधों के पालन-पोषण की शपथ ली।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)